न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 952-एक/10 विरुद्ध आदेश दिनांक 29.03.2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 225/2008-09/निगरानी

दातार सिंह पुत्र भैरोलाल

निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) ....**आवेदक**

विरुद्ध

1. लाखन सिंह पुत्र भैरोलाल
   निवासी कलारबाग, चुंगी नाका जिला शिवपुरी
2. म.प्र. शासन द्वारा हल्का पटवारी नोहरीकला
   जिला शिवपुरी (म.प्र.) ....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव

अनावेदक क्र. 1 लाखन सिंह स्वयं उपस्थित एवं अनावेदक क्र. 2 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक..21/08/16.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 225/2008-09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.03.2010 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.11.2006 के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र उसकी

अनुपस्थिति में खारिज किया गया। इसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 23.05.2009 द्वारा अपील समयावधि में मान्य की जाकर प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु नियत किया गया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 29.03.2010 द्वारा स्वीकार की जाकर कलेक्टर शिवपुरी का आदेश अपास्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश पुर्नस्थापित किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्ष 1992 के प्रारंभ में प्रकरण पंजीबद्ध होकर कार्यवाही प्रचलित होकर अनावेदक लाखन सिंह ने उक्त कार्यवाही पूर्ण न होने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न न्यायालयों कलेक्टर, अपर आयुक्त, राजस्व मण्डल, ग्वालियर एवं माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर के समक्ष अपील/निगरानी, रिट प्रस्तुत की गईं। कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समक्ष चार-चार बार निगरानी प्रस्तुत हुई। राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष दो बार एवं उच्च न्यायालय के समक्ष एक बार रिट याचिका प्रस्तुत की गई। उक्त् कार्यवाहियों से स्पष्ट था कि अनावेदक लाखन सिंह ने इतनी बार निगरानी प्रस्तुत कर आवेदक की भूमि को अपने स्वत्व में बनाए रखने के आशय से एवं आवेदक को मुकदमेबाजी में उलझाए रखने की मंशा से भिन्न-भिन्न न्यायालयों में अंतरिम कार्यवाहियों के विरुद्ध अपील/निगरानी प्रस्तुत करता रहा। किसी भी न्यायालय से अनावेदक लाखन सिंह को राहत प्राप्त नहीं हुई।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि अनुविभागीय अधिकारी ने एक ही प्रकरण में दो आदेश पारित किए थे। ऐसी स्थिति में दोनों आदेश के विरुद्ध संयुक्त रूप से अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि नहीं की थी। यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पृथक-पृथक अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत होती। अपर कलेक्टर ने प्रकरण की अपील म्याद के बिन्दु पर ग्राह्य कर गुण-दोषों पर निराकृत करने हेतु मान्य की थी। ऐसी स्थिति में अनावेदक ने अंतरिम आदेश दिनांक 23.05.2009 के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी। अपर आयुक्त ने प्रकरण की गंभीरता पर विचार किए बिना कि प्रकरण 15 वर्ष से भिन्न-भिन्न न्यायालयों में प्रचलित होकर वरिष्ठ न्यायालयों से प्रत्येक

बार निर्देशों के साथ प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में गुण-दोषों पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता रहा है। पांच बार अपर आयुक्त के न्यायालय से भी निराकृत होकर वापिस हुआ था। उक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण गुण-दोषों पर निराकृत न कर अदम हाजिरी में निरस्त किया गया उसके बाद विलंब से आवेदन प्रस्तुत होने के आधार पर आवेदन निरस्त किया गया। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने आवेदक को उसके स्वत्व की भूमि से वंचित कर बंदोवस्त त्रुटि के आधार पर बिना किसी स्वत्व व दस्तावेज के आवेदक के रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से क्रय की गई वैध स्वत्व की भूमि अनावेदक ने अपने रकवे में शामिल करा ली थी। अनावेदक को बिना किसी आधार के अप्रत्यक्ष रूप से लाभी पहुंचाने की मंशा से तकनीकि आधारों का सहारा लेकर अनावेदक लाखन सिंह की निगरानी स्वीकार करने में भूल की है। ऐसा आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है।

4. अनावेदक क्रं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5. अनावेदक क्र. 2 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक के अनुपस्थित रहने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध दिनांक 22.11.06 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया था बाद में उसके द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन देने पर अनुविभागीय अधिकारी ने उसे दिनांक 8-2-08 के आदेश द्वारा अवधि बाह्य मानते हुए अस्वीकार किया गया । ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22-11-06 के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करना विधिसम्मत नहीं है । आवेदक को चाहिए था कि वे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8-2-08 के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील/निगरानी प्रस्तुत करते किंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की गई है ।

प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित एवं न्यायिक है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर